प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 81/2023 (2023/ )

1. गीता देवी पत्नि स्व रामप्रसाद जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. मनीष पुत्र स्व रामप्रसाद
3. राजेश पुत्र स्व रामप्रसाद

समस्त निवासीगण खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

-----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

------अप्रार्थी

**राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट**

**आदेश**

दिनांक 05.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प खवास में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| खाता संख्या नया-पुराना | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 770-72 | 1670 | 0.10 | नहरी 2 |
| | 1682 | 0.48 | नहरी 2 |
| | कुल किता 2 | कुल रकबा 0.58 हैक्टर | |

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की एकमात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमें अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक हिस्सा नही है एवं प्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। फसल काश्त करते समय एवं तारबंदी करते समय पड़ोसी तारबंदी नही करने देते तथा प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात से जबरन बेदखल करने एवं कब्जा करने की नियत से हैरान व परेशान करते है एवं आये दिन धमकियां देते है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दोराने केम्प उपस्थित है तथा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थीगण खातेदार दर्ज रेकॉर्ड है एवं कबिज काश्त है। आराजीयात के पत्थरगढी के आदेश किये जाने पर राजहित प्रभावति नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी के ग्राम/कस्बा खवास तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 770-72 में दर्ज खसरा संख्या 1670, 1682 किता 2 कुल रकबा 0.58 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प खवास में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner